संख्याः– 196 / उन्तीस / 04 / 02–(290पे0) / 2000

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर साचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2005

विषय जनपद बागेश्वर की बौडी धूराफॉट पम्पिग पेयजल येाजना की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 21 / अप्रैजल–बागेश्वर / दिनांक 23.02.2004 एवं पत्रांक 63 / अप्रैजल–बागेश्वर / दिनांक 29.01.2005 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद बागेश्वर की बौडी धूराफॉट पम्पिग पेयजल योजना अनु0लागत रू0 463.38 लाख के आगणन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू 352.17 लाख (रू0 तीन करोड़ बावन लाख सत्रह हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार आगणन / मानचित्र पर अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) योजना पर व्यय की स्वीकृति पृथक से शासन एवं वित्त विभाग की सहमति से प्लान आऊटले व बजट प्राविधान की स्थिति स्पष्ट होने पर पृथक से दी जायेगी।

क्रमशः 2

(6) कार्य प्रारम्भ करने एंव धनराशि की स्वीकृति के पूर्व पेयजल निगम द्वारा उक्त योजना की फीजबिलीटी रिर्पाट तैयार कर प्रस्तुत कर दी जायेगी जिसके परीक्षण के उपरान्त ही व्यय की स्वीकृति दी जायेगी।

(7) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निमार्ण विभाग /विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(8) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(10) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(11) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 697/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 07 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः– 196(1)/उन्तीस/05/02–(290पे0)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार,, उत्तराचंल देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल ।
3–जिलाधिकारी, बागेश्वर ।
4–मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।
5–मुख्य अभियंता(कुमायूँ) उत्तरांचल पेयजल निगम, नैनीताल ।
5–अधिशासी अभियन्ता, प्रकल्प शाखा, ,उत्तराचंल पेयजल निगम,बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भजकर आगणन में की गग्री कटौतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें ।
6–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/मा0 पेयजल मंत्री ।
7–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ट ।
8–निर्देशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव